"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर 2018—अग्रहायण 2, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, द्वारका राम चंदेल आत्मज स्व. गोपाल राम चंदेल, जाति-लोधी, निवासी-झुरानदी, पो.-शाखा, तहसील-छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं लोक निर्माण विभाग उपसंभाग छुईखदान में दैनिक वेतनभोगी के पद पर कार्यरत हूं. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सरजूराम चंदेल दर्ज है जो कि मेरा घरेलू नाम है, जबकि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि में मेरा सही व वास्तविक नाम द्वारका राम चंदेल दर्ज है. मैं अपने सर्विस रिकार्ड में व अन्य सभी आवश्यक अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा सही नाम "द्वारका राम चंदेल" दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे द्वारका राम चंदेल आ. स्व. गोपाल राम चंदेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सरजूराम चंदेल पिता-स्व. गोपाल राम चंदेल निवासी-झुरानदी, पो.-शाखा, तहसील-छुईखदान जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	द्वारका राम चंदेल पिता-स्व. गोपाल राम चंदेल निवासी-झुरानदी, पो.-शाखा, तहसील-छुईखदान जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ममता ढाबरे ध.प. स्व. शैलेन्द्र ढाबरे, उम्र 51 वर्ष, निवासी- म.नं.-2/47, स्वामी विवेकानंद वार्ड नं.-9, शंकर नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरी पुत्री को पूर्व में सोनीमा ढाबरे के नाम से जाना जाता था जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, व एल.आई.सी. के रिकार्ड में दर्ज है, व उसकी जन्म ता. 24-05-2003 है. मैं अपनी पुत्री का पूर्व नाम परिवर्तित कर नया नाम "स्वर्णिमा ढाबरे" रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को स्वर्णिमा ढाबरे आत्मजा स्व. शैलेन्द्र ढाबरे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सोनीमा ढाबरे (Sonima Dhabre) पिता-स्व. शैलेन्द्र ढाबरे निवासी-म.नं.-2/47, स्वामी विवेकानंद, वार्ड नं.-9 शंकर नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)	स्वर्णिमा ढाबरे (Swarnima Dhabre) पिता-स्व. शैलेन्द्र ढाबरे निवासी-म.नं.-2/47, स्वामी विवेकानंद, वार्ड नं.-9 शंकर नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गायत्री साय आत्मजा श्री सरवन साय, उम्र 28 वर्ष, जाति कंवर, पेशा नौकरी, हाल निवासी-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, जिला न्यायालय, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.), स्थाई निवासी-पण्डरीपानी, पतराटोली, तहसील-पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम "कुमारी गायत्री बाई" था, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, व अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम "गायत्री साय" रख ली हूं. मेरा परिवर्तित यह नया नाम/उपनाम मेरे सर्विस रिकार्ड व मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे गायत्री साय आत्मजा श्री सरवन साय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कुमारी गायत्री बाई पिता-श्री सरवन साय हाल निवासी-व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जिला न्यायालय, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) स्थाई निवासी-पण्डरीपानी, पतराटोली, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.)	गायत्री साय पिता-श्री सरवन साय हाल निवासी-व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जिला न्यायालय, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) स्थाई निवासी-पण्डरीपानी, पतराटोली, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सोमनाथ साहू आत्मज श्री मयाराम, उम्र 53 वर्ष, निवासी-ग्राम मोरिद, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सोमनाथ आ. मयाराम दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक आदि में मेरा पूर्ण नाम सोमनाथ साहू आ. श्री मयाराम साहू दर्ज है. मैं अपने सर्विस रिकार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेजों व अभिलेखों में मेरा पूर्ण नाम "सोमनाथ साहू आ. श्री मयाराम" दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सोमनाथ साहू आ. श्री मयाराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सोमनाथ पिता-श्री मयाराम निवासी-ग्राम-मोरिद, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	सोमनाथ साहू पिता-श्री मयाराम निवासी-ग्राम-मोरिद, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सुनीता साहू ध.प. श्री भोलेराम साहू, उम्र 55 वर्ष, निवासी-वार्ड क्र. 51, प्रदीप्ती नगर, बोरसी, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक, शासकीय व अर्द्धशासकीय प्रमाण पत्रों व अभिलेखों में मेरा सही व पूर्ण नाम श्रीमती सुनीता साहू दर्ज है. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में मेरी जन्म ता. 02-03-1963 दर्ज है जो कि सही है. मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सुनीता देवी साहू दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पति के सर्विस रिकार्ड में व अन्य समस्त आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा सही व पूर्ण नाम "श्रीमती सुनीता साहू" दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती सुनीता साहू ध.प. श्री भोलेराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सुनीता देवी साहू पति-श्री भोलेराम साहू निवासी-वार्ड क्र.-51, प्रदीप्ती नगर, बोरसी, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती सुनीता साहू पति-श्री भोलेराम साहू निवासी-वार्ड क्र.-51, प्रदीप्ती नगर, बोरसी, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अरूण कुमार डे आत्मज श्री बिरेन्द्र लाल डे, उम्र 80 वर्ष, निवासी-म.नं.-7/8, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत था. फरवरी 1996 में मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा लघु नाम ए.के. डे दर्ज था तथा यही नाम मेरे राजस्व अभिलेखों में दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है. मेरा पूर्ण नाम अरूण कुमार डे आ. श्री बिरेन्द्र लाल डे है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड व पैन कार्ड में दर्ज है. मैं अपने सही व पूर्ण नाम "अरूण कुमार डे आ. श्री बिरेन्द्र लाल डे" को मेरे राजस्व रिकार्ड व अन्य सभी आवश्यक शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अरूण कुमार डे (Arun Kumar Dey) आ. श्री बिरेन्द्र लाल डे (Shri Birendra Lal Dey) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
ए. के. डे (A. K. Dey) पिता-श्री बी. एल. डे (S/o Shri B. L. Dey) निवासी-म. नं.-7/8, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)	अरूण कुमार डे (Arun Kumar Dey) पिता-श्री बिरेन्द्र लाल डे (S/o Shri Birendra Lal Dey) निवासी-म. नं.-7/8, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सीता दास मानिकपुरी ध.प. श्री जागेश्वर दास मानिकपुरी, उम्र 57 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-13/ए, स्ट्रीट-11, सेक्टर-7, सिविक सेंटर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं, उनके सर्विस रिकार्ड में व मेरे राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम सीता बाई मानिकपुरी दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा सही नाम श्रीमती सीता दास मानिकपुरी, मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट में दर्ज है, मेरी जन्म तारीख 18-09-1961 है जो सही है. मैं अपने सही व पूर्ण नाम "श्रीमती सीता दास मानिकपुरी" को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड, मेरे राजस्व अभिलेखों व समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती सीता दास मानिकपुरी (Smt. Sita Das Manikpuri) ध.प. श्री जागेश्वर दास मानिकपुरी (Shri Jageshwar Das Manikpuri) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सीता बाई मानिकपुरी (Sita Bai Manikpuri) पति-श्री जागेश्वर दास मानिकपुरी (W/o Shri Jageshwar Das Manikpuri) निवासी-क्वा. नं.-13/ए, स्ट्रीट-11, सेक्टर-7, सिविक सेंटर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती सीता दास मानिकपुरी (Smt. Sita Das Manikpuri) पति-श्री जागेश्वर दास मानिकपुरी (W/o Shri Jageshwar Das Manikpuri) निवासी-क्वा. नं.-13/ए, स्ट्रीट-11, सेक्टर-7, सिविक सेंटर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2219/उपंरा/परि./2018.—सृष्टि बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव प.क्र. 610, जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकारण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए सृष्टि बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव प.क्र. 610 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि.ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2220/उपंरा/परि./2018.—भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव प. क्र. 336 जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकारण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव प.क्र. 336 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि.ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2221/उपंरा/परि./2018.—द्वारिका माई बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पनेका प. क्र. 467 वि.स. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकारण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए द्वारिका माई बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पनेका प.क्र. 467 वि.ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि.ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2223/उपंरा/परि./2018.—माता बहादुर कलारीन बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मकरनपुर प. क्र. 616 वि.स. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकारण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए माता बहादुर कलारीन बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मकरनपुर प.क्र. 616 वि.ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि.ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2224/उपंरा/परि./2018.—ओम प्रकाश बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. भवरमरा प.क्र. 513 वि.ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकारण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओम प्रकाश बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. भवरमरा प.क्र. 513 वि.ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि.ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2225/उपंरा/परि./2018.—श्रमजीवी पत्थर उत्खनन सहकारी समिति मर्या. महरूमखुर्द प.क्र. 276 वि.ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकारण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रमजीवी पत्थर उत्खनन सहकारी समिति मर्या. महरूमखुर्द प.क्र. 276 वि.ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि.ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2226/उपंरा/परि./2018.—पत्थर उत्खनन सहकारी समिति मर्या. ढाबा प.क्र. 261 वि.ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकारण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्थर उत्खनन सहकारी समिति मर्या. ढाबा प.क्र. 261 वि.ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि.ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2228/उपंरा/परि./2018.—जलाराम महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव प.क्र. 517 वि.ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकारण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए जलाराम महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव प.क्र. 517 वि.ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि.ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2229/उपंरा/परि./2018.—शुभम महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव प.क्र. 440 वि.ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकारण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुभम महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव प.क्र. 440 वि.ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि.ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2230/उपंरा/परि./2018.—माँ कर्मा बुनकर सहकारी समिति मर्या. पटेवा प.क्र. 532 वि.ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकारण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञाप्ति क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ कर्मा बुनकर सहकारी समिति मर्या. पटेवा प.क्र. 532 वि.ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि.ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.